935(S)
07/02/17

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषयः– पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधीन परियोजनाओं, यथा–पथों/पुल–पुलियों एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण/उन्नयन हेतु वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति एवं पथ अधिग्रहण निमित्त मार्गदर्शिका के संबंध में।

बिहार में पथ निर्माण के क्षेत्र में विगत वर्षों में आमूल–चूल परिवर्तन हुआ है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में बड़े पैमाने पर पथों / पुल–पुलियों के निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लगातार गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च धनत्व वाले पथों के साथ बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राज्य की जनता को सुगम यातायात उपलब्ध हो रहा है। इस क्रम में जिले से राजधानी पटना आने हेतु अधिकतम लगने वाले समय छः घंटे के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। विभाग की उपरोक्त उपलब्धि को देखते हुए ग्रामीण सड़कों/गैर विभागीय पथों को पथ निर्माण विभाग के अधीन अधिग्रहण कर निर्माण/उन्नयन करने की माँग जनता एवं जन प्रतिनिधियों की ओर से लगातार बढ़ती जा रही है।

2. वर्तमान में पथ निर्माण विभाग के अधीन लगभग 10634 कि0मी0 वृहद जिला पथ एवं 4253 कि0मी0 राज्य उच्च पथों एवं उनपर अवस्थित पुल–पुलियों के निर्माण / उन्नयन / रख–रखाव के साथ राज्य के अन्दर उच्च क्षमता का प्रभावी पथ श्रृंखला (Efficient Road Network) विकसित करने की जिम्मेवारी है।

3. राज्य सरकार के "पथ विकास दृष्टिपथ–2020 (Road Development Vision-2020)" के अधीन राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना आने में अधिकतम पाँच घण्टे का समय लगे, इस निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा निम्न प्राथमिकता निर्धारित की जाती हैः–

(i) सभी राज्य उच्च पथों को न्यूनतम 2–लेन (7.00 मी०) में चौड़ीकरण कार्य।

(ii) सभी वृहद जिला पथों का न्यूनतम इन्टरमेडिएट लेन (5.50 मी०) में चौड़ीकरण कार्य।

(iii) विभागीय पथों पर स्थित संकीर्ण एवं जर्जर पुल/पुलियों को आर0सी0सी0 पुल/पुलिया से प्रतिस्थापन।

(iv) राज्य उच्च पथों एवं वृहद जिला पथों पर बढ़े हुए यातायात घनत्व (Traffic Density) एवं व्यावसायिक भारी वाहन (Axle Load) के कारण पथों पर स्थित स्क्रू पाईल पुलों के स्थान पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का चरणबद्ध तरीके से निर्माण।

(v) बारहमासी सड़क सम्पर्क (All-weather road connectivity) के मद्देनजर बाधायुक्त पुल–पुलियों (यथा submersible bridge, causeway, low level culverts etc.) के स्थान पर बाधा रहित चौड़े पुलों का निर्माण।

(vi) राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुँचने में अधिकतम पाँच घंटे समय लगे, इस निमित्त संबंधित विभागीय पथों के साथ–साथ वैकल्पिक मार्गों का अधिग्रहण एवं तद्नुसार यातायात घनत्व एवं वाहन भार के अनुसार पर्याप्त श्रेणी (adequate configuration) में विकसित करना।

(vii) राज्य के पथों पर बढ़ते यातायात घनत्व (Traffic Density) एवं भारी वाहनों (Axle Load) को देखते हुए NH, SH एवं MDR के Missing Link को जोड़कर Star-Grid Pattern पर उच्च गति गलियारा (High Speed Corridor) विकसित करना।

(viii) शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए यातायात को सुगम बनाने हेतु सड़क विभाजक सहित बहु लेन पथ (Multi Lane with Divider) एवं द्रुत गति से जल निकासी हेतु नाला का निर्माण करना।

(ix) वैसे संकीर्ण शहरी पथ (Bottleneck) जहाँ लगातार जाम की समस्या रहती है एवं पथ का चौड़ीकरण संभव नहीं है, वैसे शहरी क्षेत्र में वैकल्पिक मार्ग एवं बाईपास का निर्माण करना।

(x) राज्य के अधीन पर्यटन, सांस्कृतिक महत्व, विशिष्टि कृषि उत्पादक क्षेत्र तथा राज्य के प्रमुख बाजार को चिन्हित कर इनके उत्तम सड़क सम्पर्कता (road connectivity) के लिए प्रमुख मार्गों का चयन एवं तद्नुसार पर्याप्त श्रेणी (adequate configuration) में विकास कार्य।

(xi) पथ प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त नये तकनीक (technology) का उपयोग कर सड़क सुरक्षा (Road Safety) के मानक प्रावधानों के अनुरूप रोड नेटवर्क (Road Network) का व्यापक एवं सुदृढ़ विकास।

(xii) जिला मुख्यालय को अनुमंडल एवं प्रखण्ड कार्यालयों से जोड़ने वाले विभागीय पथों का आवश्यकता एवं यातायात घनत्व के अनुसार चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण करना और आपदा प्रबंधन एवं प्रशासनिक संवेदनशीलता के आलोक में नये बैकल्पिक मार्ग / बाईपास का निर्माण।

(xiii) उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आम जनों / जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव की समीक्षा कर निर्माण पर विचार किया जाएगा।

4. **अन्य विभागों से पथों का अधिग्रहण**

पथ निर्माण विभाग के अधीन उपलब्ध संसाधनों के Optimum उपयोग एवं सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य, यथा–राज्य के सुदूर जिले से पाँच घंटे में राजधानी पटना पहुँचना, Traffic Congestion को दूर करने एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्ग का निर्माण आदि हेतु नये पथों का अधिग्रहण अपेक्षित है। पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली पथों का मापदंड, निम्नरूप से निर्धारित की जाती है:–

(i) पथ, सरकारी निकाय/संस्थान/पर्षद/विभाग के अधीन हो एवं पूर्व से पथ का मार्ग रेखांकण (alignment) निर्धारित हो।

(ii) ऐसे पथ जो दो राष्ट्रीय उच्च पथों, दो राज्य उच्च पथों, एक राज्य उच्च पथ से दूसरे वृहद् जिला पथ, एक राष्ट्रीय उच्च पथ से दूसरे राज्य उच्च पथ या वृहद जिला पथ अथवा दो वृहद जिला पथों अथवा महत्वपूर्ण स्थानों यथा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन क्षेत्र, विकासशील औद्योगिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्र इत्यादि को जोड़ता हो।

(iii) पटना राजधानी क्षेत्र (Patna Capital Region) एवं शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले पथों के मामले में पथ भूमि की चौड़ाई (Right of Way) 8.5 मीटर वांछनीय होगी, परन्तु न्यूनतम 6.0 मीटर पथ चौडाई के पथों का भी चयन किया जायेगा, बशर्ते भविष्य में उसकी चौड़ीकरण की सम्भाव्यता हो।

(iv) पथ विकास दृष्टिपथ–2020 के अनुरूप निर्धारित नीति/लक्ष्य के आलोक में ग्रामीण क्षेत्र में पड़ने वाले पथों के मामले में पथ भूमि की चौड़ाई (Right of Way) 8.5 मीटर वांछनीय होगी, परन्तु न्यूनतम 6.0 मीटर चौड़ाई के पथों का भी चयन किया जाएगा, बशर्ते भविष्य में उसकी चौड़ीकरण की सम्भाव्यता हो। साथ ही पथ में यातायात घनत्व कम से कम 2000 PCU/दिन हो।